संख्या- 17 /2015/138/62-1-2015-04जीडब्लू/2014

प्रेषक,

चन्द्र प्रकाश,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
भूगर्भ जल विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग1 लखनऊ दिनांक 11 जून, 2015

विषय- वेतन समिति (2008) के नवम प्रतिवेदन भाग-1 में राजकीय विभागों के अनुरेखक (ट्रेसर) तथा मानचित्रकार संवर्ग के संबंध में की गयी संस्तुतियों के आधार पर भूगर्भ जल विभाग के अनुरेखक एवं मानचित्रकार संवर्ग हेतु कार्यान्वयन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 875जी/भू0ज0वि0/ई-9/(सामान्य), दिनांक 28 जनवरी 2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने निदेश हुआ है कि वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर वित्त विभाग के पत्र संख्या- वे0आ0-2-2044/दस-54(एम)/2008टीसी, दिनांक 17 अगस्त, 2010 द्वारा संसूचित राजकीय विभागों के अनुरेखक(ट्रेसर) तथा मानचित्रकार सवंर्ग के संबंध में सामान्य निर्णय के क्रम में भूगर्भ जल विभाग के अनुरेखक(ट्रेसर) (41पद) तथा मानचित्रकार संवर्ग के (18पद) पदों पर वर्तमान में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन के स्थान पर उच्चीकृत वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन दिनांक 17 अगस्त, 2010 से निम्नानुसार अनुमन्य कराये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीक़ति प्रदान करते हैं:-

(1) अनुरेखक(ट्रेसर) के पदों पर वेतन बैण्ड-1, रू0 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 1800/- के स्थान पर ग्रेड वेतन रू0 1900/- अनुमन्य कराया जाय। अनुरेखक(ट्रेसर) के पदों पर हाईस्कूल और आई0टी0आई0 (सिविल) प्रमाण-पत्र की अर्हता निर्धारित की जाय।

(2) मानचित्रकार के पदों पर वर्तमान में अनुमन्य वेतन बैण्ड-1, रू0 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 2400/- के स्थान पर वेतन बैण्ड-1, रू0 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 2800/- अनुमन्य कराया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) उक्तानुसार उच्चीकृत ग्रेड वेतन में संबंधित कार्मिकों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के शासनादेश् संख्या- वे0आ0-2/841/दस-2009-59(एम)/2008, दिनांक 24-12-2009 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा।

2- उक्त व्यवस्था का समावेश करते हुए संशोधित नियमावली यथाशीघ्र प्रख्यापित करायी जाय।

3- यह आदेश वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के अ0शा0पत्र संख्या- वे0आ0-2-354/दस-15, दिनांक 09 अप्रैल, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं ।

भवदीय,
(चन्द्र प्रकाश)
प्रमुख् सचिव ।

संख्या- 17 /2015/138(1)/62-1-2015, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2- मुख्य कोषाधिकारी, उ0प्र0 ।
3- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1 एवं 2, उ0प्र0शासन (तीन प्रतियों में)
4- वित्त (सेवायें), अनु0-2, उ0प्र0शासन।
5- वित्त (सामान्य), अनु0-3, उ0प्र0शासन।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण), अनु0-2, उ0प्र0शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(ओम नारायण अहिरवार)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।